28/10/25

अधिवक्ता परमार द्वारा शिकायती कार्यवाही बाबत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः नीलाम जिला कलक्टर को पत्र जारी हो, कि कुर्कीशुदा मैसर्स नारायणम शिलाजीत प्रोसेसर करवाकर रिपोर्ट शाखा पेश तक इसे व्यवस्थापक को प्रेषित करें। प्रकरणी अगले पत्र होवे रिपोर्ट दि. 18.11.25 को पेश हो।